BHOPAL SAHAKARI DUGDH SANGH MARYADIT
HABIBGANJ, BHOPAL 462024
AN ISO 9001 : 2015 Certified Organization
E-mail: engg.bsds@gmail.com
Phone 0755-2478250-53 Fax : 0755-2450896

क्र./6262–6264 /भोसदुसं/परिवहन/2025 दिनांक– 09/09/2025

निविदा सूचना

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित भोपाल में वाहन किराये पर लिये जाने हेतु ट्रेवल्स एजेंसियों/वाहन प्रदायकर्ताओं से ऑनलाइन निविदा आमंत्रित करता है। निविदा प्रपत्र दिनांक 11.09.2025 से एम.पी. टेंडर की बेबसाइट से ऑनलाइन भरा जा सकता है। विस्तृत जानकारी भोपाल सहकारी दुग्ध संघ की बेवसाइट www.sanchibhopal.com पर उपलब्ध है। निविदा में किसी भी प्रकार के संशोधन की जानकारी केवल उक्त वेबसाइट पर ही प्रकाशित की जावेगी। किसी भी निविदा को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने के समस्त अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ के पास सुरक्षित रहेंगें।

निविदा विवरण	धरोहर (ई.एम.डी.) राशि (रुपये)	निविदा फीस(रुपये)	निविदा जमा करने की अंतिम तिथी एवं समय	तकनीकी निविदा खोलने की तिथी एवं समय	वित्तीय निविदा खोलने की तिथी एवं समय
भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित भोपाल में बोलेरो वाहन (कुल 02 नग) किराये पर लिये जाने हेतु ट्रेवल्स एजेंसियों/ वाहन प्रदायकर्ताओं से ऑनलाइन निविदा आमंत्रित बाबत्।	10,000/- (प्रति मार्ग के लिए पृथक–पृथक)	500/-	24-09-2025 03:00 PM	25-09-2025 03:00 PM	तकनीकी निविदा में सफल निविदाकारों को पृथक से सूचित किया जावेगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

HABIBGANJ, BHOPAL 462024
AN ISO 9001: 2000 Certified Organization
E-mail: engg.bsds@gmail.com
Phone 0755-2478250 Fax: 0755-2450896

निविदा परिशिष्ट

परिशिष्ट 'अ' – वाहन किराये पर लिये जाने हेतु शर्तें

परिशिष्ट 'ब' –तकनीकी बिड़ (दस्तावेज केवल ऑनलाइन जमा करें)

परिशिष्ट 'स' – वित्तीय प्रपत्र (केवल ऑनलाइन दरें मान्य होगी।)

परिशिष्ट 'द' – चेक लिस्ट

परिशिष्ट 'इ' – अनुबंध

निविदा खोले जाने का स्थान – मीटिंग हॉल, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्या. भोपाल।

व्यवहार हेतु पता – मुख्य कार्यपालन अधिकारी
भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्या. भोपाल।

वाहन किराये पर लिये जाने हेतु शर्तें

1. वाहन का मॉडल 2024 या उससे नवीन का होकर वाहन अच्छी हालत में होना चाहिए। 02 वर्ष से अधिक पुराना वाहन निविदा में शामिल नहीं किया जावेगा। अनुबंध की अवधि 03वर्ष की होगी। उक्त निविदा अवधि पूर्ण होने एवं कार्य संतोषप्रद होने एवं वाहनों की स्थिति संतोषजनक पाये जाने पर अनुबंध अवधि नवीन एस.पी.आर. 2020 (संशोधित) के परिपालन में आपसी सहमति से अधिकृत समिति की अनुशंसा पश्चात एक–एक वर्ष करके अनुबंध अवधि में अतिरिक्त दो वर्ष तक की वृद्धि पूर्व में अनुमोदित दरों एवं शर्तों पर की जावेगी।
2. निम्नानुसार क्षेत्र/मार्ग के लिए बोलेरो वाहन के लिए निविदा आमंत्रित की जाती है :–

क्र.	जिला/क्षेत्र	अधिकतम कि.मी.	वाहन संख्या
1	सीहोर	2500	01
2	नर्मदापुरम/हरदा	2500 (नर्मदापुर 1700 एवं हरदा 800)	01

1. निविदाकार द्वारा प्रस्तुत दरों में न्यूनतम दर वाली प्राप्त निविदा को मान्य किया जावेगा। ई–निविदा में दर निर्धारण करते समय एक मार्ग पर दो या दो पात्र निविदाकारों द्वारा समान दरें प्रस्तुत की जाती है तो लॉटरी के माध्यम से चयन किया जाकर, आवंटन आदेश जारी किया जाएगा।
2. एक माह के परिवहन देयक राशि के बराबर सुरक्षा राशि का कटौत्रा प्रतिमाह समान किश्तों में परिवहन देयकों में से किया जाएगा।
3. निविदाकर्ता नवीन वाहन उपलब्ध करा सकते है। इस स्थिति में निविदाकर्ता द्वारा रु. 100–/ के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अभिवचन प्रस्तुत करना होगा। साथ ही कार्यादेश जारी होने की स्थिती में एक माह के भीतर वाहन उपलब्ध कराना होगा। अन्यथा आदेश निरस्त कर अमानत राशि राजसात कर ली जावेगी।
4. किराये की अवधि में वाहन में डीजल प्रदाय की जिम्मेदारी संबंधित निविदाकार की होगी।
5. ड्राईवर के वेतन, भत्ते एंव अन्य व्यय वाहन मालिक द्वारा किया जावेगा। वाहन चालक को 03 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।
6. वाहन सेल्फ स्टार्ट होना चाहिए। स्टेपनी सहित चारों ट्यूब टायर अच्छी कंडीशन में होना चाहिए। रास्ते में वाहन खराब होने की स्थिति में उपयोगकर्ता अधिकारी को सामान्यतः दो घंटे में सुधार कराकर उपयोग हेतु वाहन उपलब्ध कराना होगा। वाहन के खराब होने के स्थान से गैरेज तक लाने दायित्व वाहन प्रदाता का होगा। वाहन का माईलोमीटर सदैव चालू स्थिती में होना चाहिए। वाहन में समस्त प्रकार के मरम्मत का व्यय वाहन प्रदाता वहन करेगा। साथ ही दिन प्रतिदिन वाहन सफाई की व्यवस्था करनी होगी।
7. वाहन के पेपर्स की फॉटोंकॉपी निविदा के साथ प्रस्तुत करें एंव वाहन प्रदाता को वाहन का बीमा रजिस्ट्रेशन इत्यादि से संबंधित कागजात हमेशा वाहन में रखने होगें।

8. वाहन के खिडकियों पर परदों की व्यवस्था (सफेद रंग), सीट कवर (सफेद रंग) एवं सुगंध हेतु परफ्यूम की व्यवस्था निविदाकार को करनी होगी। जो कि हमेशा साफ एवं स्वच्छ स्थिति में होने चाहिए वाहन के भीतर किसी भी प्रकार की गंदगी (कूडा–करकट, धूल–मिट्टी) नही होनी चाहिए।
9. वाहन चालक के अवकाश पर होने से दूसरा वाहन चालक उपलब्ध कराना होगा।
10. वाहन चालक स्वच्छ वर्दी में हो, वाहन चालक अपराधिक चरित्र का व्यक्तित्व न हो। उसके पास कमर्शियल वाहन चालक का लाइसेंस हो। चालक को ड्राईविंग लाइसेंस हमेशा साथ में ही रखना होगा एंव वाहन के पेपर्स भी वाहन के साथ रखने होगें। टौल टैक्स का भुगतान वाहन प्रदायकर्ता द्वारा ही किया जावेगा। किसी भी प्रकार दुर्घटना पर वाहन का स्वामी पूर्णं रूप से उत्तरदायी होगा तथा समस्त खर्च वहन करेगा। यदि कोई वैधानिक क्षतिपूर्ति न्यायालय द्वारा तय की जाती है तो उसकी सम्पूर्णं जवाबदारी वाहन प्रदाता की होगी।
11. वाहन का उपयोग शासकीय कार्य से भ्रमण के लिये किया जावेगा। वाहन 24 घंटे उपयोगकर्ता अधिकारी के नियंत्रण में रहेगा। वाहन चालक भी सामान्यतः 12 घंटे कार्यरत रहेगा किन्तु आवश्यक होने पर 24 घंटे उपलब्ध रहना चाहिए।
12. निविदा स्वीकार करने व अस्वीकार करने का अंतिम निर्णंय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ का होगा। यह निर्णंय अंतिम व बंधनकारी होगा।
13. वाहन का रजिस्ट्रेशन टेक्सी मद में होना चाहिए। नवीन वाहन दिये जाने की स्थिति में भी वाहन का पंजीयन टेक्सी मद में ही अनिवार्य होगा।
14. वाहन चालक का पुलिस वेरीफिकेशन करवाना होगा तथा अनुबंध के साथ प्रस्तुत करना होगा।
15. वाहन प्रदाता स्वामी को मासिक किराये के भुगतान से नियमानुसार टीडीएस कटौत्रा कर भुगतान किया जावेगा। संबंधित का पेन कार्ड आवश्यक है।
16. सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल ही होगा।
17. यात्रा के दौरान दुर्गम स्थानों पर भी वाहन ले जाया जा सकेगा। वाहन चालक का यह कर्तव्य होगा कि वह उपयोगकर्ता अधिकारी के आदेश का पालन करेगा।
18. वाहन प्रदाता को मॉग अनुसार वाहन प्रदाय करना अनिवार्य होगा। मॉग अनुसार वाहन उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में प्रतिभूति धरोहर (ई.एम.डी.) राशि राजसात की जा सकेगी।
19. वाहन चालक द्वारा संबंधित वाहन उपयोगकर्ता अधिकारी से प्रतिदिन की गई यात्रा का प्रमाणीकरण लॉकबुक में कराना अनिवार्य होगा।
20. निविदा स्वीकृति की स्थिति में वाहन प्रदाता को स्वीकृति आदेश प्राप्त होने के उपरान्त मॉग अनुसार आदेशदाता अधिकारी के पास मय ड्राईवर के वाहन निर्धारित स्थान पर भेजना होगा।
21. दरें संलग्न नियत पत्रक में ऑन लाइन ही प्रस्तुत की जाना आवश्यक है।
22. निविदादाता अथवा वाहन चालक द्वारा मरम्मत या अन्य कार्य के लिये विभाग सेवा से वाहन ले जाये जाने पर भी की गई अशासकीय यात्रा का भुगतान विभाग द्वारा नहीं किया जावेगा।

23. वाहन के खराब एंव उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में वैकल्पिक रूप से उसी स्तर का वाहन उपलब्ध कराने का दायित्व निविदादाता का होगा। अन्यथा क्षतिपूर्ति की राशि मासिक किराये का 1/30 प्रतिदिन के मान से काटी जावेगी।
24. 01 माह के नोटिस देकर वाहन सेवा का अनुबंध निरस्त करने का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा। किसी भी विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ का रहेगा।
25. यदि वाहन मालिक द्वारा अनुबंध अवधी के पूर्व वाहन संचालन बन्द किया जाता है तो एक माह पूर्व सूचना देना आवश्यक होगी। संघ द्वारा भी एक माह का नोटिस देकर समयपूर्व वाहन बन्द किया जा सकेगा। वाहन मालिक द्वारा बिना पूर्व सूचना वाहन हटाने पर धरोहर राशि राजसात की जावेगी।
26. स्वीकृत दरें अनुबंध अवधि तक मान्य रहेगी, लेकिन अनुबंध अवधि में डीजल दरों में कमी/वृद्धि होती है तो ही अनुबंधित दरों में कमी/वृद्धि माह में एक बार की जावेगी। दर में कमी/वृद्धि की गणना 15 किमी प्रति लीटर के औसत आधार पर की जावेगी।
27. वाहनों की किराया दर जी.एस.टी. अतिरिक्त के प्रस्तुत करनी अनिवार्य है।
28. दुग्ध संघ की आवश्यकता अनुसार वाहन की संख्या में वृद्धि या कमी की जा सकती है।
29. सफल निविदाकार को दुग्ध संघ के साथ रु. 1000/– नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर जो भोपाल से क्रय किया गया हो पर अनुबंध निष्पादित करना होगा । अनुबंध का प्रारुप दुग्ध संघ द्वारा उपलब्ध कराया जावेगा।स्टाम्प पेपर सफल निविदाकार द्वारा स्वयं के व्यय पर उपलब्ध कराया जावेगा।
30. प्रत्येक माह के देयकों का भुगतान वाहन उपयोगकर्ता द्वारा सत्यापित लॉग बुक के आधार पर किया जावेगा। देयकों का सत्यापन उपयोगकर्ता अधिकारी से कराया जाना होगा। देयकों का भुगतान देयक प्रस्तुत करने के समय से 30 दिवस के भीतर किया जावेगा।
31. <u>आर्बिट्रेशन</u>

- किसी भी प्रकरण में सामग्री/सेवा प्रदायक एवं दुग्ध संघ के मध्यम विवाद की स्थिति निर्मित होने पर प्रबंध संचालक,एमपीसीडीफ भोपाल को प्रकरण हेतु प्रस्तुत जा सकेगा।
- निराकरण न होने की स्थिति में आर्बिट्रेशन एक्ट 1996 के प्रावधानो के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

<u>परिशिष्ट 'ब'</u>

तकनीकी बिड़ (दस्तोवेज केवल ऑनलाइन जमा करें)

1. निविदाकार का नाम –..
2. पिता का नाम –..
3. स्थायी पता –..
4. मोबाईल नं. –..
5. निविदाकार का पेन कार्ड नं. –..
   (स्व प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)
6. आधार नं.(स्व प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें) –..
7. वाहन का मॉडल वर्ष –..
8. वाहन का क्रमांक –..
9. वाहन का रजिस्ट्रेशन का दिनांक–..
10. टैक्सी परमिट की वैधता(छायाप्रति संलग्न करें) –..
11. फीटनेश प्रमाण पत्र(छायाप्रति संलग्न करें) –..
12. रजिस्ट्रेशन व बीमा के कागजात की छायाप्रति संलग्न करे –..
13. प्रदूषण के कागजात की छायाप्रति संलग्न करे –..

नोटः–

1. अभिलेखों की पठनीय स्वयं के द्वारा प्रमाणित छायाप्रतियों ऑनलाइन संलग्न की जावें।
2. भौतिक रुप से कोई भी दस्तावेज इस कार्यालय में जमा नही किया जावेगा। वांछित दस्तावेज की छायाप्रतियाँ स्वयं के द्वारा प्रमाणित कर ऑन–लाइन प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
3. दरें वित्तीय प्रपत्र में ऑनलाइन माध्यम से भरी जावेगी।
4. **निविदा अंतर्गत नवीन वाहन उपलबध कराने की स्थिती में रु. 100–/ के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर का अभिवचन प्रस्तुत करना अनिवार्य है।**

वित्तीय प्रपत्र (केवल ऑनलाइन दरें मान्य होगी।)

निविदाकार का नाम ....

क्र.	वाहन का प्रकार ए.सी. सहित वाहन का मॉडल 2024 या उससे नवीन	ड्रायवर, बीमा टोल टैक्स एवं समस्त मेंटनेस तथा अन्य वैधानिक व्यय सहित वाहन दर रूपये प्रतिकि.मी. में (जीएसटी अतिरिक्त)
1	सीहोर (अधिकतम 2500 कि.मी. प्रतिमाह)	
2	नर्मदापुरम / हरदा (अधिकतम 2500 कि.मी. प्रतिमाह)	

निविदाकार हस्ताक्षर

चेक लिस्ट

दस्तावेज केवल ऑनलाइन संलग्न करें

क.	दस्तावेज	ऑनलाइन संलग्न किया (हाँ अथवा नहीं)
1	निविदाकार का पेन कार्ड नं. (छायाप्रति संलग्न करें)	
2	निविदाकार का आधार नं.(छायाप्रति संलग्न करें)	
3	वाहन के रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति	
4	वाहन के टैक्सी परमिट की वैधता संबंधित दस्तावेज (छायाप्रति संलग्न करें)	
5	वाहन के फिटनेस प्रमाण पत्र(छायाप्रति संलग्न करें)	
6	वाहन के बीमा की छायाप्रति संलग्न करे	
7	जी.एस.टी.एन. सर्टिफिकेट (यदि उपलब्ध हो)	
8	नया वाहन उपलब्ध कराने की स्थिति में अभिवचन प्रस्तुत करें कि '' **कार्य आवंटन की स्थिती में कार्यादेश दिनांक से 01 माह के भीतर निविदा में दी गई समस्त शर्तो का पालन करते हुये वाहन उपलब्ध कराया जायेगा। अन्यथा की स्थिती में दुग्ध संघ जो भी निर्णय लेगा वह मान्य होगा''**	

अभिवचन पत्र का प्रारुप

(नवीन वाहन उपलब्ध कराने की दशा में)

(रु. 100—/ के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा प्रमाणित)

मैं/हम...पिता..................................निवासी.......................................यह घोषणा करता हूँ/है कि मेरे/हमारे द्वारा भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित द्वारा कार्य आवंटन की स्थिती में कार्यादेश दिनांक से 01 माह के भीतर निविदा में दी गई समस्त शर्तो का पालन करते हुये वाहन उपलब्ध कराया जायेगा। यदि मेरे/हमारे द्वारा आदेश दिनांक से 01 माह के भीतर वाहन उपलब्ध नही कराया जाता है तो भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित द्वारा की गई कार्यवाही हेतु मैं/हम स्वयं जबावदेह होगे।

हस्ताक्षर वाहन प्रदायकर्ता

(सील सहित)

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्या., भोपाल एवं बोलरों जीप निविदाकार के मध्य किये जाने वाला अनुबंध

1000/—रू. के नानज्यूडिशियल स्टॉम्प पर अनुबंध किया जाए।

अनुबंधकर्ता का फोटो

/// अनुबंध पत्र ///

यह अनुबंध पत्र आज दिनांक .... को निष्पादित किया गया जिसका प्रथम पक्ष (निविदाकार/निविदाकार संस्था) श्री/श्रीमती .... निवासी .... एवं उत्तराधिकारी श्री/श्रीमती .... है एवं द्वितीय पक्ष मुख्य कार्यपालन अधिकारी भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्या., भोपाल अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी हैं।

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्या., भोपाल के पशु आहार संयंत्र/विपणन शाखा भोपाल/जिले .... के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रथम पक्षकार के बोलेरो जीप जिसका पंजीयन क्रमांक .... है, से द्वितीय पक्षकार (भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्या., भोपाल) द्वारा निर्धारित समय हेतु आवेदन किया है एवं द्वितीय पक्षकार ने इससे आगे लिखे गये निबन्धनों एवं शर्तो पर प्रथम पक्षकार का आवेदन दर रू. .... (अक्षरी रू. ....) प्रतिकिमी पर अग्रलिखित शर्तो के अनुसार अनुबन्ध किया जाता है।

अनुबंधकर्ता को अनुबंध पत्र पर स्वयं के पासपोर्ट साईज फोटो के सहित नोटरी करवाकर प्रस्तुत करना होगा। अनुबंध की शर्ते उभयपक्षों को मान्य होगी।

1) यह ठेका अवधि दिनांक .... से दिनांक .... तक प्रभावशील रहेगी।
2) इन शर्तो को जीप/समकक्ष वाहन/डीजल कार परिवहन ठेके की शर्ते कहा जावेगा। शर्तो में जहॉ—जहॉ संघ शब्द आएगा, उसका तात्पर्य भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्या., भोपाल माना जावेगा।
3) उक्त वाहन मासिक किराये पर लिया जावेगा। वाहन की सुरक्षा की जवाबदारी निविदाकार की होगी।
4) किराये की अवधि में वाहन में डीजल प्रदाय की जिम्मेदारी संबंधित निविदाकार की होगी।
5) ड्राईवर के वेतन, भत्ते एंव अन्य व्यय वाहन मालिक द्वारा किया जावेगा। वाहन चालक को 03 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।
6) वाहन सेल्फ स्टार्ट होना चाहिए। स्टेपनी सहित चारों ट्यूब टायर अच्छी कंडीशन में होना चाहिए। रास्ते में वाहन खराब होने की स्थिति में उपयोगकर्ता अधिकारी को सामान्यतः दो घंटे में सुधार कराकर उपयोग हेतु वाहन उपलब्ध कराना होगा। वाहन के खराब होने के स्थान से गैरेज तक लाने दायित्व वाहन प्रदाता का होगा। वाहन का माईलोमीटर सदैव चालू स्थिती में होना चाहिए। वाहन में समस्त प्रकार के मरम्मत का व्यय वाहन प्रदाता वहन करेगा। साथ ही दिन प्रतिदिन वाहन सफाई की व्यवस्था करनी होगी।

7) वाहन के पेपर्स की फॉटोंकॉपी निविदा के साथ प्रस्तुत करें एंव वाहन प्रदाता को वाहन का बीमा रजिस्ट्रेशन इत्यादि से संबंधित कागजात हमेशा वाहन में रखने होगें।

8) वाहन के खिडकियों पर परदों की व्यवस्था (सफेद रंग), सीट कवर (सफेद रंग) एवं सुगंध हेतु परफ्यूम की व्यवस्था निविदाकार को करनी होगी। जो कि हमेशा साफ एवं स्वच्छ स्थिति में होने चाहिए वाहन के भीतर किसी भी प्रकार की गंदगी (कूडा–करकट, धूल–मिट्टी) नही होनी चाहिए।

9) वाहन चालक के अवकाश पर होने से दूसरा वाहन चालक उपलब्ध कराना होगा।

10) वाहन चालक स्वच्छ वर्दी में हो, वाहन चालक अपराधिक चरित्र का व्यक्तित्व न हो। उसके पास कमर्शियल वाहन चालक का लाइसेंस हो। चालक को ड्राईविंग लाइसेंस हमेशा साथ में ही रखना होगा एंव वाहन के पेपर्स भी वाहन के साथ रखने होगें। टौल टैक्स का भुगतान वाहन प्रदायकर्ता द्वारा ही किया जावेगा। किसी भी प्रकार दुर्घटना पर वाहन का स्वामी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा तथा समस्त खर्च वहन करेगा। यदि कोई वैधानिक क्षतिपूर्ति न्यायालय द्वारा तय की जाती है तो उसकी सम्पूर्ण जवाबदारी वाहन प्रदाता की होगी।

11) वाहन 24 घंटे सेवा में रहेगा। वाहन चालक भी सामान्यतः 12 घंटे कार्यरत रहेगा किन्तु आवश्यक होने पर 24 घंटे उपलब्ध रहना चाहिए।

12) निविदा स्वीकार करने व अस्वीकार करने का अंतिम निर्णय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ का होगा। यह निर्णय अंतिम व बंधनकारी होगा।

13) वाहन का रजिस्ट्रेशन टेक्सी मद में होना चाहिए। नवीन वाहन दिये जाने की स्थिति में भी वाहन का पंजीयन टेक्सी मद में ही अनिवार्य होगा।

14) वाहन चालक का पुलिस वेरीफिकेशन करवाना होगा तथा अनुबंध के साथ प्रस्तुत करना होगा।

15) वाहन प्रदाता स्वामी को मासिक किराये के भुगतान से नियमानुसार टीडीएस कटौत्रा कर भुगतान किया जावेगा। संबंधित का पेन कार्ड आवश्यक है।

16) सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल ही होगा।

17) वाहन का उपयोग शासकीय कार्य से भ्रमण के लिये किया जावेगा। वाहन 24 घंटे उपयोगकर्ता अधिकारी के नियंत्रण में रहेगा।

18) यात्रा के दौरान दुर्गम स्थानों पर भी वाहन ले जाया जा सकेगा। वाहन चालक का यह कर्तव्य होगा कि वह उपयोगकर्ता अधिकारी के आदेश का पालन करेगा।

19) वाहन प्रदाता को मॉग अनुसार वाहन प्रदाय करना अनिवार्य होगा। मॉग अनुसार वाहन उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में प्रतिभूति धरोहर (ई.एम.डी.) राशि राजसात की जा सकेगी।

20) वाहन चालक द्वारा संबंधित वाहन उपयोगकर्ता अधिकारी से प्रतिदिन की गई यात्रा का प्रमाणीकरण लॉकबुक में कराना अनिवार्य होगा।

21) निविदा स्वीकृति की स्थिति में वाहन प्रदाता को स्वीकृति आदेश प्राप्त होने के उपरान्त मॉग अनुसार आदेशदाता अधिकारी के पास मय ड्राईवर के वाहन निर्धारित स्थान पर भेजना होगा।

22) निविदादाता अथवा वाहन चालक द्वारा मरम्मत या अन्य कार्य के लिये विभाग सेवा से वाहन ले जाये जाने पर भी की गई अशासकीय यात्रा का भुगतान विभाग द्वारा नहीं किया जावेगा।

23) वाहन के खराब एंव उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में वैकल्पिक रूप से उसी स्तर का वाहन उपलब्ध कराने का दायित्व निविदादाता का होगा। अन्यथा क्षतिपूर्ति की राशि मासिक किराये का 1/30 प्रतिदिन के मान से काटी जावेगी।

24) 01 माह के नोटिस देकर वाहन सेवा का अनुबंध निरस्त करने का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा। किसी भी विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ का रहेगा।

25) यदि वाहन मालिक द्वारा अनुबंध अवधी के पूर्व वाहन संचालन बन्द किया जाता है तो एक माह पूर्व सूचना देना आवश्यक होगी। संघ द्वारा भी एक माह का नोटिस देकर समयपूर्व वाहन बन्द

किया जा सकेगा। वाहन मालिक द्वारा बिना पूर्व सूचना वाहन हटाने पर धरोहर राशि राजसात की जावेगी।

26) स्वीकृत दरें अनुबंध अवधि तक मान्य रहेगी, लेकिन अनुबंध अवधि में डीजल दरों में कमी/वृद्धि होती है तो ही अनुबंधित दरों में कमी/वृद्धि माह में एक बार की जावेगी। दर में कमी/वृद्धि की गणना 15 किमी प्रति लीटर के औसत आधार पर की जावेगी।

27) प्रत्येक माह के देयकों का भुगतान वाहन उपयोगकर्ता द्वारा सत्यापित लॉग बुक के आधार पर किया जावेगा। देयकों का सत्यापन उपयोगकर्ता अधिकारी से कराया जाना होगा। देयकों का भुगतान देयक प्रस्तुत करने के समय से 30 दिवस के भीतर किया जावेगा।

28) वाहन हेतु डीजल की व्यवस्था का उत्तर दायित्व पूर्णतः प्रथम पक्ष का रहेगा, यदि डीजल के अभाव में वाहन नहीं भेजा जाता है अथवा विलम्ब से भेजा जाता है तो नुकसानी के लिए प्रथम पक्ष जवाबदार होगा। ईधन के रूप में केवल डीजल का ही प्रयोग किया जावेगा।

29) संघ अधिकारियों के अलावा वाहन में अन्य कोई सवारी नहीं बिठाई जावेगी।

30) वाहन चालक के लिए प्रथम पक्ष द्वारा जो चालक नियुक्त किया जावेगा उसे संघ अधिकारियों के निर्देशानुसार कार्य करना होगा तथा उसके अवैधानिक कृत्यों के लिए संघ जवाबदार नहीं होगा।

31) वाहन का स्पीडो मीटर एवं सेल्फ स्टार्टर हमेशा चालू रखना होगा। खराब होने पर 24 घण्टे में प्रथम पक्ष द्वारा उसे सुधरवाया जावेगा।

32) प्रथम पक्ष अपना वारिस श्री/श्रीमती/कुं. .... संबंध .... उम्र .... पूर्ण होंशो हवास में में नामांकित घोषित करता हूँ। प्रथम पक्ष की मृत्यु उपरांत श्री/श्रीमती/कुं. .... को संघ से व्यवहार करने का अधिकार होगा। इसकी स्वीकृति हेतु वारिस के हस्ताक्षर करवाकर प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष को देगा।

33) संघ में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों अथवा संचालक मण्डल के सदस्यों में प्रथम पक्ष का कोई निकट का रिश्तेदार पति/पत्नि/पुत्र/पुत्री/सगे भाई–बहन नहीं है, यह कथन प्रथम पक्ष शपथ पत्र पर प्रस्तुत करेगा। यदि जॉच के दौरान कथन असत्य पाया गया तो द्वितीय पक्ष को अनुबंध निरस्त कर प्रतिभूति राशि जब्त करने का अधिकार होगा।

34) स्वीकृत दरें अनुबंध अवधि तक मान्य रहेगी, लेकिन अनुबंध अवधि में डीजल दरों में कमी/वृद्धि होती है तो ही अनुबंधित दरों में कमी/वृद्धि माह में एक बार की जावेगी। दर में कमी/वृद्धि की गणना 15 किमी प्रति लीटर के औसत आधार पर की जावेगी।

35) अनुबंधित वाहन का ड्रायवर प्रथम पक्ष का निजी कर्मचारी होगा तथा इनका कर्मचारी भविष्य निधी अधिनियम एक्ट या कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम या अन्य कोई अधिनियम के अन्तर्गत होने वाली जिम्मेदारी का दायित्व प्रथम पक्ष का होगा, इसका रिकार्ड का लेखा जोखा प्रथम पक्ष को ही रखना होगा।

36) प्रथम पक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जावेगा कि अनुबंधित वाहन की वाहन निर्माता के तय मानक अनुसार नियमित सर्विसिंग होवे, जिससे अनुरक्षण के अभाव में खराबी उत्पन्न नहीं हो।

37) वाहन में डीजल, आईल, बीमा, ड्रायवर, परमिट, फिटनेस, प्रदूषण जाँच रिपोर्ट इत्यादि समस्त व्यय वाहन मालिक द्वारा ही वहन किये जावेगें।

38) वाहन संचालन हेतु ड्रायवर के पास ड्राईविंग लाईसेंस होना अनिवार्य है। वाहन चालक को संघ से किसी प्रकार का भुगतान नहीं दिया जावेगा।

39) किसी भी प्रकरण में सामग्री/सेवा प्रदायक एवं दुग्ध संघ के मध्यम विवाद की स्थिति निर्मित होने पर प्रबंध संचालक,एमपीसीडीफ भोपाल को प्रकरण हेतु प्रस्तुत जा सकेगा।

40) निराकरण न होने की स्थिति में आर्बिट्रेशन एक्ट 1996 के प्रावधानो के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

द्वितीय पक्ष	प्रथम पक्ष
	हस्ताक्षर अनुबंधकर्ता ....
	नाम ....
मुख्य कार्यपालन अधिकारी,	पिता/पति का नाम ....
भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,	पता ....
भोपाल	दूरभाष क्रं. ....
	मोबाईल नम्बर ....

अनुबंधकर्ता के जमानतदार का नाम एवं हस्ताक्षर	अनुबंधकर्ता के गवाह का नाम एवं हस्ताक्षर
हस्ताक्षर ——————————————	हस्ताक्षर ————————————————
01. नाम ———————————————	01.नाम —————————————————————
पता ———————————————	पता—————————————————————
मो0 नं. ——————————————	मो0नं.—————————————————————
आई.डी. प्रूफ ————————————	आई.डी. प्रूफ ——————————————
02. नाम ————————————————	02 नाम————————————————————
पता ————————————————	पता——————————————————
मो0 नं.————————————————	मो0 नं.——————————————————
आई.डी. प्रूफ ———————————	आई.डी. प्रूफ —————————————